प्रारुप–6

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड़ राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड़ गेज रेल लाईन निर्माण ।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

रेल विकास निगम लिमिटेड के पत्र संख्या RVNL/RKSH/FRST/(CORS)/1/2020/CIVIL/RKSH/407 दिनाँक–07.07.2021 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नरेंद्रनगर वन प्रभाग के पत्र संख्या 158/12-1 दिनांक–14.07.2021 के कम में दिनांक 15.09.2021 को रेल विकास निगम लि0 (भारतीय रेल की ओर से) के द्वारा रेल परियोजना को बनाने जाने के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सुरंग संख्या– टी-2 के पोर्टल पी–1 के पहुंच मार्ग निर्माण में प्रयोग हेतु जो कि बवानी, शिवपुरी आरक्षित वन भूमि का हिसा हैं का निरीक्षण किया गया है। सयुंक्त निरीक्षण में वन विभाग की और से श्री धर्म सिंह मीणा, प्रभागीय वनाधिकारी श्री जुगल किशोर, राजि0 अधिकारी, एवं बलबीर पंवार वन दरोगा, रेल विकास निगम लि0 की और से श्री ओम प्रकाश मालगुडी वरिष्ठ प्रबंधक परियोजना, श्री आदित्ये गोयल (सीनियर साईट इंजिनियर), श्री प्रभात सिंह (वन कंसलटेंट), राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~पवन कुमार~~ कल्याण सिंह राणा (पटवारी) के द्वारा भाग लिया गया के द्वारा भाग लिया गया । संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही हैं।

शून्य (है0) नापभूमि से, **शून्य** (है0) सिविल भूमि (गैर वन) से, **शून्य** (है0) सिविल भूमि वन सें, **शून्य** (है0) वन पंचायत से एवं **1.1206** (है0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी। परियोजना के निमाण हेतु ,आवेदित आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही हैं तथा आवेदित आरक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम हैं। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया । प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है, व इस परियोजन निर्माण से सम्पूर्ण गढवाल मण्डल व स्थानीय निवासी व पर्यटक सुगमता से न्यूनतम समय में यात्रा सुरक्षित रूप से पूरा कर सकेंगें।

चयनित आरक्षित वन भूमि शिवपुरी रेंज के नौडू कसं०-13 आरक्षित वन भूमि का भाग हैं जिसका आकार आयताकार हैं,जिसका G.P.S. मान प्रारुप-9 के साथ संलग्न है।

G.P.S मान: 78° 23' 2.75" E 30° 8' 46.24" N, 78° 23' 7.21" E 30° 8' 42.11" N, 78° 23' 8.57" E 30° 8' 36.69" N, 78° 23' 9.83" E 30° 8' 31.51" N, 78° 23' 13" E 30° 8' 26.43" N, 78° 23' 9.36" E 30° 8' 28.58" N, 78° 23' 8.9" E 30° 8' 34.13" N, 78° 23' 6.97" E 30° 8' 40.06" N, 78° 23' 2.82" E 30° 8' 45.49" N, 78° 23' 6.85" E 30° 8' 25.52" N, 78° 23' 12.16" E 30° 8' 26.31" N, 78° 23' 12.76" E 30° 8' 25.73" N, 78° 23' 7.08" E 30° 8' 24.89" N है।

चयनित स्थल में कुल **शून्य** पौधों को अन्यत्र स्थान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/संरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है ।

आवेदित आरक्षित वन भूमि **1.1206** है0 में प्रभावित वृक्षों की संख्या 39 है। जिनकी गणना और नाप, प्रजातिवार व व्यासवर्गवार सूची वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में प्रारुप–19, 20, 20.1, 21 के साथ संलग्न हैं।

नोट :– रेलवे द्वारा संड़क हेतु चयनित आरक्षित वन भूमि नौडू क0सं0–13 में प्रस्तावित भूमि के समान्तर ही नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा हेंवल नदी पर रिवर फ्रण्ट कार्य सम्पादित किया जा रहा है। रिवर फ्रण्ट कार्य की सुरक्षा हेतु रेलवे द्वारा प्रस्तावित सड़क के समान्तर डाउन हिल साईड में दीवार निर्माण किया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी रेंज
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र
तहसील
जिला-टिहरी गढ़वाल

DSI NARENDRA NAGAR

ए. के. शर्मा/A. K. SHARMA
संयु. महाप्रबंधक वन विशेषज्ञ/ JGM Forest Expert
रेल विकास निगम लि0/ Rail Vikas Nigam Ltd.
भारत सरकार का उपक्रम/ A Govt. of India Enterprises
ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249201/ Rishikesh (UK) 249201

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नरेन्द्रनगर)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती